कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक : 5627 / 12–1 देहरादून, दिनांक 11, मार्च, 2024.

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
सौंग बांध परियोजना (पी0आई0यू0),
देहरादून।

विषयः– **जनपद देहरादून में सौंग बांध परियोजना के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के अन्तर्गत एन0पी0वी0 की संशोधित धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– आपकी पत्र संख्या–03 / महाप्रबन्धक / सौंग बाध, पी0आई0यू0 / वन भूमि दिनांक–08.01.2024 एवं आपसे मुख्य सचिव सभागार में दिनांक 19.02.2024 को हुई वार्ता के क्रम में तथा प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकिरेती की पत्र संख्या 2012 / 12–1, दिनांक–27.01.2024 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी की पत्र संख्या–3049 / 12–1, दिनांक–11.03.2024

महोदय,

आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात एवं प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग द्वारा उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित मांग के अनुसार, अतिरिक्त संशोधित एन0पी0वी0 एवं सी0ए0 की मांग एवं उसका आधार निम्नानुसार प्रेषित है:–

एन0पी0वी

- **अतिरिक्त एन0पी0वी0 जमा किये जाने का आधार–** जनपद देहरादून में सौंग बांध पेयजल परियोजना के निर्माण हेतु कुल 127.6712 है0 वन भूमि का देय वानिकी कार्यो हेतु सिंचाई विभाग को प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त 127.6712 है0 भूमि में से 62.6245 है0 भूमि देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत तथा 65.0467 है0 भूमि मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत स्थित है। पूर्व में इस कार्यालय की पत्र संख्या–2518 / 12–1, दिनांक–16.01.2021 (संलग्नक–1) द्वारा प्रेषित मांग पत्र का अवलोकन करने पर यह ज्ञात हुआ कि देहरादून वन प्रभाग अन्तर्गत प्रस्तावित कुल वन भूमि हस्तान्तरण 62.6245 है0 के स्थान पर मात्र 34.6034 है0 के एन0पी0वी0 की ही मांग की गयी थी। जो की त्रुटिपूर्ण है।
- इसके साथ ही मांग पत्र में इस क्षेत्र का ईको क्लास भी गलत प्रदर्शित किया गया है। जिसकी वजह से एन0पी0वी0 मद में जो धनराशि जमा होनी थी वो नही हो सकी है। भारत सरकार द्वारा अपनी पत्र संख्या–File No. 8–16 / 2020–FC, दिनांक 05.01.2021 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1 निम्नानुसार है –

  "The N.P.V. shall be revised and re-calculated as per the density of the forest land derived in terms of standard followed in ISFR 2019 (interpretation of satellite data period 2016-17) regarding density classes i.e. 1.0 ha Very Dense Forest, 60.0 ha Moderately Dense Forest and remaining forest land in Open Forest."
- भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–1 के क्रम में एन0पी0वी0 की मांग की ईको क्लास में परिवर्तन हुआ है जिसके फलस्वरूप एन0पी0वी0 की दरो में भी परिवर्तन हुआ है। इसलिए एन0पी0वी0 की संशोधित मांग निम्नानुसार तालिका के अनुसार प्रेषित की जा रही है–

Scanned with CamScanner

मद	क्षेत्रफल है0 में	ईको क्लास	दर/है0	धनराशि
एन0पी0वी0 की वांछित धनराशि (देहरादून वन प्रभाग)	1.00	I	1043000.00	1043000.00
	60.00		939000.00	5,63,40,000.00
	1.6245		730000.00	11,85,885.00
	योग 62.6245		---	योग– 5,85,68,885.00
एन0पी0वी0 की वांछित धनराशि (मसूरी वन प्रभाग)	65.0467	V	657000.00	42735682.00
महायोग–				10,13,04,567.00

इस प्रकार प्रयोक्ता अभिकरण को भारत सरकार द्वारा निर्धारित एन0पी0वी0 की पुरानी दरो के अनुसार कुल 10,13,04,567.00 रूपये जमा किया जाना है। जबकि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अब तक एन0पी0वी0 मद में कुल 6,54,70,116.00 (= 2,27,34,434+4,27,35,682) रूपये की धनराशि जमा की गयी है। इस प्रकार आपको एन0पी0वी0 मद में कुल 3,58,34,451.00 (कुल तीन करोड़ अठावन लाख चौंतीस हजार चार सौ इक्यावन) रूपये की अतिरिक्त धनराशि कैम्पा मद में ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से जमा की जानी है। आपको यह अवगत कराना है कि चूंकि इस प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति एन0पी0वी0 की नई दरों के कट–ऑफ डेट 06.01.2022 के पूर्व ही प्राप्त हो चुकी थी इसलिए एन0पी0वी0 की अवशेष मांग पुरानी दरो के अनुसार ही की जा रही है।

सी0ए0

- सी0ए0 हेतु अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने का आधार – भारत सरकार द्वारा अपनी पत्र संख्या–File No. 8–16/2020–FC, दिनांक–05.01.2021 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 4 निम्नानुसार है –

  "The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation at the current wage rate in consulatation with State Forest Department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal. The Scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years."

- आप विदित है कि उपरोक्त वन भूमि हस्तान्तरण के सापेक्ष दुगने क्षेत्र (256 है0) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण मसूरी वन प्रभाग अन्तर्गत प्रस्तावित है। इस कार्यालय की पत्र संख्या–2518/12–1, दिनांक–16.01.2021 (संलग्नक–1) द्वारा प्रेषित मांग पत्र के अनुसार 256 है0 में प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षो तक अनुरक्षण हेतु रू0 3,06,531.00 प्रति है0 की दर से रू0 7,84,71,936.00 की धनराशि आपके द्वारा सी0ए0 मद में जमा की गयी है। जिसे भारत सरकार की शर्त सं0–4 के क्रम में निम्न तालिका के अनुसार संशोधित किया जा रहा है –

मद	क्षेत्रफल है0 में	दर/है0	धनराशि
क्षतिपूरक वृक्षारोपण (सी0ए0) एवं 10 वर्ष का अनुरक्षण हेतु वांछित धनराशि (मसूरी वन प्रभाग)	256.00	448791.00 वृक्षारोपण हेतु प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड की पत्र संख्या–1459/3–5–2, दिनांक–01.01.2021 में उल्लिखित वर्ष 2023–24 की दरो के अनुसार।	11,48,90,496.00
कुल धनराशि			11,48,90,496.00

Scanned with CamScanner

इस प्रकार प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी द्वारा अपने पत्रांक–3049/12–1, दिनांक–11.03.2024 द्वारा प्रेषित मांग पत्र के अनुसार 256 है0 क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा उसके 10 वर्षो तक अनुरक्षण हेतु कुल 11,48,90,496.00 (ग्यारह करोड़ अड़तालिस लाख नब्बे हजार चार सौ छियानवे) रूपये की धनराशि की आवश्यकता है। उक्त मांग के सापेक्ष आपके द्वारा इस मद में अब तक 7,84,71,936.00 की धनराशि जमा की जा चुकी है। इस प्रकार क्षतिपूरक वृक्षारोपण मद में आपके द्वारा कुल 3,64,18,560.00 (तीन करोड़ चौसठ लाख अठारह हजार पांच सौ साठ) रूपये की अतिरिक्त धनराशि कैम्पा मद में ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से जमा की जानी है।

एन0पी0वी0 एवं सी0ए0 मद में कुल अतिरिक्त मांग–

मद	धनराशि
क्षतिपूरक वृक्षारोपण (सी0ए0) एवं 10 वर्ष का अनुरक्षण मद हेतु वांछित अतिरिक्त धनराशि	3,64,18,560.00
एन0पी0वी0 मद में वांछित अतिरिक्त धनराशि	3,58,34,451.00
योग–	7,22,53,011.00 (सात करोड बाईस लाख तिरपन हजार ग्यारह मात्र)

कैट प्लान

प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकिरेती जो कि सौंग बांध पेयजल परियोजना के कैट प्लान हेतु नोडल अधिकारी नामित है ने अपनी पत्र संख्या–2012/12–1, दिनांक–27.01.2024 द्वारा यह अवगत कराया है कि विषयक प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक–8–16/2020–FC दिनांक–05.01.2021 से जारी की गयी है, जिसकी शर्त संख्या 02 (A) (II) के अनुपालन में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक–18.12.2023 को सौंग बांध पेयजल परियोजना की मु0 7116.60 लाख की कैट प्लान अनुमोदित किया गया है। जिसकी प्रति अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें एवं सामुदायिक वानिकी, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक–355/3–19 दिनांक–28.12.2023 से अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तरखण्ड देहरादून को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है, जिसके क्रम में दिनांक–18.12.2023 से स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित (मु0–7116.60) लाख की सौंग कैट प्लान की उक्त धनराशि कैम्पा कोष में जमा करवाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को निर्देशित करने का कष्ट करें। अतः आपसे यह अपेक्षा है कि सौंग कैट प्लान मद में रू0 71.16 करोड़ की धनराशि कैम्पा मद में जमा कराना सुनिश्चित करें।

कैट प्लान मद तथा एन0पी0वी0 एवं सी0ए0 मद में कुल अतिरिक्त मांग–

क्र0सं0	मद	धनराशि
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण (सी0ए0) एवं 10 वर्ष का अनुरक्षण मद हेतु वांछित अतिरिक्त धनराशि	3,64,18,560.00
2	एन0पी0वी0 मद में वांछित अतिरिक्त धनराशि	3,58,34,451.00
3	कैट प्लान	71,16,60,000.00
	योग–	78,39,13,011.00 (अठत्तर करोड उनतालीस लाख तेरह हजार ग्यारह मात्र)

Scanned with CamScanner

अतः आपसे अनुरोध है कि 78,39,13,011 (अठत्तर करोड उनतालीस लाख तेरह हजार ग्यारह मात्र) की धनराशि कैम्पा मद में ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से जमा कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांकः– 5627 / 12–1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि इस कार्यालय द्वारा प्रेषित किये जा रहे संशोधित मांग पत्र को पत्र का परिक्षण सक्षम अधिकारियों से करवाने की कृपा करें।
2. मुख्य वन संरक्षक, पौड़ी, उत्तराखण्ड।
3. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून।
4. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
5. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनि कि रेती, ऋषिकेश।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्र नगर वन प्रभाग को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में।

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

Scanned with CamScanner